## न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

**बी0 पी0 नं0 :–390 / 2026**
**उत्पन्न गम्हरिया थाना कांड संख्या:–84 / 26**

**1. प्रकाश यादव उम्र लगभग 26 वर्ष, पिता– विनोद यादव**
**साकिन–घोरमाहा, थाना–गम्हरिया, जिला–मधेपुरा।**
**–आवेदक / अभियुक्त**

**बनाम्**

**बिहार सरकार – विपक्षी**

**जमानत आदेश**

**11–06–2026**

दिनांक–08.05.2026 से काराधीन आवेदक अभियुक्त प्रकाश यादव का नियमित जमानत आवेदन जो गम्हरिया थाना कांड संख्या –84 / 2026 अन्तर्गत धारा– 191(3), 190, 191(2), 117(1), 118(1), 223, 121(1), 132, 324(4), 324(5), 109, 61(2), 115(2) बि0एन0एस0 से संबंधित है, विद्वान अधिवक्ता श्री चंद्रदेव सिंह द्वारा दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित किया गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है जिन्होने ऐसा कोई घटना कारित नही किया जैसा आरोप उनके विरूद्ध लगाया गया है। आवेदक को दुश्मनी के कारण पुलिस से मिलीभगत करके इस केस मे झूठा फँसाया गया है। तथाकथित घटना में लगाया गया सभी आरोप सामान्य है, आवेदक के विरूद्ध कोई विशिष्ट अभियोग नहीं है। प्राथमिकी में केवल प्रकाश यादव का नाम उल्लेख किया गया जिसमें उनके माता पिता का नाम पता आदि कोई अन्य पहचान संबंधी जानकारी नहीं दिया है, जबकि प्रकाश यादव नाम के चार व्यक्ति कथित डाकघर बभनी गांव घमेरा में एक साथ रहते हैं, इससे अभियुक्त के विशिष्ट पहचान की संलिप्तता अत्यंत संदिग्ध और संदेहास्पद प्रतीत होता है। मामले में कोई स्वतंत्र अथवा प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं आया है जिससे आवेदक की घटना में संलिप्पता स्पष्ट हो जाए। आवेदक घटना के समय कथित घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था और न ही उसका किसी घटना से लेना देना है। पुलिस के समक्ष सह–अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान पर आवेदक को अभियुक्त बनाया गया है जिसका कोई न्यायिक साक्ष्य मूल्य नहीं है। प्राथमिकी के अनुसार पृथमदृष्ट्या आवेदक के विरूद्व नहीं बनता है तथा अभियोजन कथा तथ्यहीन है जिसमें घटना से संबंधित को तथ्यपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आवेदक विद्यार्थी है जिसके फरार होने अथवा साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई संभावना नही है और न्यायालय के सभी शर्तों का अनुपालन करने के लिए तैयार है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

Satish Kumar 11.06.26

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का पुरजोर विरोध किया गया।

–लगातार

## न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

**बी0 पी0 नं0 :–390/2026**
**उत्पन्न गम्हरिया थाना कांड संख्याः–84/26**



लगातार
11–06–26

– सूचक प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रभारी अंचलाधिकारी गम्हरिया के आवेदन के आधार अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि अतिक्रमण वाद सं0–03/2022–23, के संदर्भ में अनुमंडल दण्डाधिकारी मधेपुरा के ज्ञापांक–383/गो0 एवं जिलाधिकारी मधेपुरा के द्वारा पारित आदेश के आलोक में दिनांक 30.04.26 को थानाध्यक्ष गम्हरिया थाना के संयुक्त दलबल जिसमें पुलिस लाईन मधेपुरा से प्राप्त बल के सदस्य एवं अन्य पुलिस पदा0/सशस्त्र बल के साथ महेन्द्र यादव बिजो यादव के घर जे0सी0बी0 के साथ अतिक्रमण खाली कराने हेतु प्रस्थान किया। जैसे ही ग्राम बभनी स्थित महेन्द्र यादव व बिजो यादव के घर पहुंचे तथा अतिक्रमण खाली करना प्रारंभ किया गया, उसी क्रम में 14:30 बजे एक सोची समझी साजिश के तहत प्राथमिकी में नामित अभियुक्त महेन्द्र यादव एवं अन्य लोगो के द्वारा लाठी–डंडा, बांस, ईंट पत्थर, रड से लैस होकर पुलिस दलबल पर जान मारने के नियत से प्रहार कर दिया जिसमें थानाध्यक्ष राघव शरण के उपर जान मारने के नियत से रड व ईट पत्थर से मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया तथा दोनो हाथ, माथा, पैर व पीठ में काफी जख्म आ गया एवं सरकारी मोबाइल तथा प्राइवेट मोबाइल को तोडकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया एवं बी.एच.जी. रौशन कुमार, मिथिलेश कुमार, महिला एवं पुरूष सिपाही के उपर भी जान मारने के नियत से लाठी, डंडा, ईंट, पत्थर से हमला किया जिसमें सिपाही–807 श्रवण कुमार, सि0–845 निलेश कुमार मंडल, म0सि0–272 मोनिका कुमारी, म0सि0–98 पुष्पांजली कुमारी को बुरी तरह जख्मी हो गये तथा शरीर के कई अंग से खून निकलने लगा, इसी क्रम में साथ ले जाये गये। जे0सी0बी0 के ऊपर भी ईट व पत्थर तथा लाठी से प्रहार कर काफी क्षतिग्रस्त कर दिया पुलिस बल के साथ के सुरक्षा प्रोटेक्स को भी तोडकर क्षतिग्रस्त कर दिया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से तत्काल किसी तरह सभी बल को इलाज हेतु प्रा0स्वा0 केन्द्र गम्हरिया लाया गया जहां से चिकित्सक के द्वारा हाइयर सेन्टर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा रेफर कर दिया गया।

Satish Kumar
11.06.26

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी धारा– 191(3), 190, 191(2), 117(1), 118(1), 223, 121(1), 132, 324(4), 324(5), 109, 61(2), 115(2) बी0एन0एस0 के अंतर्गत दर्ज की गई है। आवेदक के विरूद्ध विधिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाने गये प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रभारी अंचलाअधिकारी गम्हरिया एवं साथ मे प्रतिनियुक्त पुलिस बल के सदस्यों के ऊपर अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, डंडा, रड एवं ईंट–पत्थर से मारकर बुरी तरह जख्मी करने सरकारी वाहन एवं जे0सी0बी0 को क्षतिग्रस्त करने तथा सरकारी कार्य मे बाधा पहुँचाने का अभियोग है। कांड दैनिकी के पारा– 02, 03, 04, 05, 06, 07 एवं 08 मे सूचक तथा साक्षियों एवं जख्मियों का बयान है जिसमें घटना का समर्थन किया गया है। पारा–70 मे आवेदक का स्वीकारोक्ति बयान है जिसमें उसने घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किय है। कांड दैनिकी के पारा–116, 117, 118 एवं 119 मे जख्मियों का जख्म प्रतिवेदन है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जख्मियों को सिर सहित शरीर के विभिन्न हिस्सों मे जख्म पाया गया है जिसमें एक महिला सिपाही भी सम्मिलित है। जख्मी बी0 एच0 जी0 रौशन कुमार एवं राघव शरण का जख्म प्रतिवेदन रिजर्व रखा गया है तथा इलाज के लिए JNKTMCH मधेपुरा रेफर किया गया है। कांड अनुसंधान अंतर्गत है तथा प्रथमदृष्ट्या आवेदक की घटना मे संलिप्तता प्रतीत होती है।

–लगातार

**न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।**

**बी0 पी0 नं0 :–390 / 2026**
**उत्पन्न गम्हरिया थाना कांड संख्याः–84 / 26**
**–3–**

**लगातार**
**11–06–26** –

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अभियोग की गंभीरता को देखते हुए वर्त्तमान परिस्थिति मे आवेदक को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार आवेदक की ओर से दाखिल नियमित जमानत याचिका **खारिज** किया जाता है। यद्यपि आवेदक को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि अपने विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण हो जाने के पश्चात् निम्न न्यायालय मे पुनः नवीन जमानत याचिका दाखिल कर सकते है।

लेखापित
Sukhi Kumar
11.06.26
(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्या0–2, मधेपुरा।